भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3363
दिनांक 12 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

बच्चों की असामयिक मृत्यु

3363. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरेः
श्री रवि किशनः
श्री पी॰ पी॰ चौधरी

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत 10 वर्षों के दौरान 0-10 वर्ष की आयु के बच्चों की असामयिक मृत्यु की दर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी रही है;
(ख) क्या कुछ वर्षों में बच्चों की मृत्यु दर बढ़ी है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) गत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा बच्चों की असामयिक मौतों की जांच या उनसे बचने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और
(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी	महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (घ) : वर्ष 2005-2017 के दौरान 1000 जीवित जन्मे बच्चों के पीछे शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) के नमूना पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से प्राप्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़े अनुलग्नक-I में दिए गए हैं । वर्ष 2006-2015 के दौरान बच्चों (14 वर्ष से कम आयु) की दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल आंकड़े अनुलग्नक-II में दिए गए हैं । बच्चों की मृत्यु दर में बढ़ोतरी/कमी संलग्न विवरणों में दर्शाई गई है ।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न बाल केंद्रित अधिनियम बनाए हैं, जैसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, बच्चों का यौन शोषण से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे एक्ट) । जबकि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित किया जाता है, पॉक्सो अधिनियम, 2012 एक विशेष कानून के रूप में बच्चों के यौन दुर्व्यवहार और शोषण से संरक्षण पर केंद्रित है ।

सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य के तरीकों में सुधार लाने और बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन राशि के माध्यम से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, शिशुओं और छोटे बच्चों के आहार के उपयुक्त तरीकों को बढ़ावा देना, सर्वसुलभ टीकाकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन, जिसमें तपेदिक, डिफ्थिरिया, परट्यूसिस, पोलियो, टिटनेस, हैपेटाइटिस बी, खसरा, रूबेला, निमोनिया और हिमोफिलस इंफ्लूएंजा बी के कारण होने वाली मेनिंजाइटिस जैसे घातक रोगों से सुरक्षा के लिए बच्चों को टीके लगाए जाते हैं और गंभीर अत्यधिक कुपोषण से ग्रस्त ऐसे बच्चों, जिन्हें बीमारियों के कारण उपचार हेतु चिकित्सा केंद्रों में दाखिल किया जाता है, के लिए जन स्वास्थ्य केंद्रों में पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित करना शामिल है ।

*****

<u>अनुलग्नक-I</u>

'बच्चों की असामयिक मृत्यु' विषय पर श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे, श्री रवि किशन और श्री पी॰ पी॰ चौधरी द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3363 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित विवरण

<u>1000 जीवित जन्मे बच्चों के पीछे शिशु मृत्यु दर के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकडे</u>

क्र.सं.	राज्य	शिशु मृत्यु दर												
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	अखिल भारत	58	57	55	53	50	47	44	42	40	39	37	34	33
1	आंध्र प्रदेश	57	56	54	52	49	46	43	41	39	39	37	34	32
2	अंडमान व निकोबार द्वीप	27	31	34	31	27	25	23	24	24	22	20	16	14
3	अरुणाचल प्रदेश	37	40	37	32	32	31	32	33	32	30	30	36	42
4	असम	68	67	66	64	61	58	55	55	54	49	47	44	44
5	बिहार	61	60	58	56	52	48	44	43	42	42	42	38	35
6	चंडीगढ़	19	23	27	28	25	22	20	20	21	23	21	14	14
7	छत्तीसगढ़	63	61	59	57	54	51	48	47	46	43	41	39	38
8	दादर और नागर हवेली	42	35	34	34	37	38	35	33	31	26	21	17	13
9	दमन और दीव	28	28	27	31	24	23	22	22	20	18	18	19	17
10	दिल्ली	35	37	36	35	33	30	28	25	24	20	18	18	16
11	गोवा	16	15	13	10	11	10	11	10	9	10	9	8	9
12	गुजरात	54	53	52	50	48	44	41	38	36	35	33	30	30
13	हरियाणा	60	57	55	54	51	48	44	42	41	36	36	33	30
14	हिमाचल प्रदेश	49	50	47	44	45	40	38	36	35	32	28	25	22
15	जम्मू और कश्मीर	50	52	51	49	45	43	41	39	37	34	26	24	23
16	झारखंड	50	49	48	46	44	42	39	38	37	34	32	29	29
17	कर्नाटक	50	48	47	45	41	38	35	32	31	29	28	24	25
18	केरल	14	15	13	12	12	13	12	12	12	12	12	10	10
19	लक्षद्वीप	22	25	24	31	25	25	24	24	24	20	20	19	20
20	मध्य प्रदेश	76	74	72	70	67	62	59	56	54	52	50	47	47
21	महाराष्ट्र	36	35	34	33	31	28	25	25	24	22	21	19	19
22	मणिपुर	13	11	12	14	16	14	11	10	10	11	9	11	12
23	मेघालय	49	53	56	58	59	55	52	49	47	46	42	39	39
24	मिजोरम	20	25	23	37	36	37	34	35	35	32	32	27	15
25	नागालैंड	18	20	21	26	26	23	21	18	18	14	12	12	7
26	ओडिशा	75	73	71	69	65	61	57	53	51	49	46	44	41
27	पुद्दुचेरी	28	28	25	25	22	22	19	17	17	14	11	10	11
28	पंजाब	44	44	43	41	38	34	30	28	26	24	23	21	21
29	राजस्थान	68	67	65	63	59	55	52	49	47	46	43	41	38
30	सिक्किम	30	33	34	33	34	30	26	24	22	19	18	16	12
31	तमिलनाडु	37	37	35	31	28	24	22	21	21	20	19	17	16
32	तेलंगाना	[redacted]									35	34	31	29
33	त्रिपुरा	31	36	39	34	31	27	29	28	26	21	20	24	29
34	उत्तर प्रदेश	73	71	69	67	63	61	57	53	50	48	46	43	41
35	उत्तराखंड	42	43	48	44	41	38	36	34	32	33	34	38	32
36	पश्चिम बंगाल	38	38	37	35	33	31	32	32	31	28	26	25	24

अनुलग्नक-**II**

'बच्चों की असामयिक मृत्यु' विषय में श्री सुधकर तुकाराम श्रंगरे, श्री रवि किशन और श्री पी॰ पी॰ चौधरी द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3363 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित विवरण

वर्ष 2006-2015 के दौरान बच्चों (14 वर्ष से कम आयु) की दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु के कुल मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1	आंध्र प्रदेश	1513	1471	1480	1404	1260	1247	1166	1300	462	572
2	अरुणाचल प्रदेश	5	24	19	17	43	25	22	21	23	21
3	असम	337	419	376	377	460	455	367	360	270	183
4	बिहार	587	848	1028	1057	927	1106	833	1107	603	600
5	छत्तीसगढ़	1469	1468	1314	1360	1375	1615	1304	1499	1460	1289
6	गोवा	52	45	53	37	30	38	36	39	29	25
7	गुजरात	1184	1235	1294	1216	1418	1274	1319	1330	1321	1114
8	हरियाणा	437	466	456	444	421	466	451	461	600	464
9	हिमाचल प्रदेश	87	110	144	107	130	124	129	112	93	119
10	जम्मू और कश्मीर	127	160	71	98	75	112	139	74	115	44
11	झारखंड	352	343	267	351	317	312	367	322	435	173
12	कर्नाटक	1133	1232	1100	1417	1075	1127	951	1166	1039	885
13	केरल	487	467	403	387	491	405	392	409	410	345
14	मध्य प्रदेश	4132	3851	3933	3993	3973	4372	3734	4319	3829	3169
15	महाराष्ट्र	3839	3444	3368	3339	3272	3091	3137	3588	3071	3070
16	मणिपुर	22	16	19	21	18	21	17	19	22	7
17	मेघालय	24	44	55	88	42	95	29	45	59	38
18	मिजोरम	11	7	27	13	19	34	34	34	16	9
19	नागालैंड	0	4	10	4	0	3	9	7	2	3
20	ओडिशा	632	643	643	659	824	743	836	1174	637	404
21	पंजाब	276	254	277	298	322	439	389	311	304	214
22	राजस्थान	1322	1360	1204	1123	1146	1152	1043	1132	1135	1043
23	सिक्किम	12	5	1	19	7	18	17	6	19	13
24	तमिलनाडु	1128	994	1262	1173	1052	1048	1228	1145	1236	966
25	तेलंगाना #									545	549
26	त्रिपुरा	46	89	43	47	57	40	46	52	95	44
27	उत्तर प्रदेश	2060	2247	2337	2180	2365	2679	2164	2362	1539	1529
28	उत्तराखंड	64	78	112	151	180	189	115	106	51	57
29	पश्चिम बंगाल	571	952	1162	1104	1130	1231	1748	1417	965	544
30	एक और एन द्वीप	14	8	14	10	11	16	8	24	14	14
31	चंडीगढ़	20	22	25	35	20	25	8	20	15	14
32	दादर और नागर हवेली	24	28	16	17	16	8	12	7	15	11
33	दमन और दीव	3	2	6	11	6	2	4	6	3	6
34	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	447	385	441	418	500	470	433	347	320	293
35	लक्षद्वीप	3	0	0	3	0	0	0	0	1	0
36	पुदुचेरी	32	45	38	38	34	45	32	39	15	30
	कुल (अखिल भारत)	**22452**	**22766**	**22998**	**23016**	**23016**	**24027**	**22519**	**24360**	**20768**	**17861**
स्रोत : राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो/सीआईडी से प्राप्त 'भारत में दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु और आत्महत्याएं, 2014' में उल्लिखित आंकड़े											
# 2014 में नव-गठित राज्य											